रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 1972/आषाढ़ 28, 1894
No. 341] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 1972/ASADHA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July 1972

S.O. 495(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Andhra Pradesh

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sri M. R. Krishna, House No. 6-60, Alwal, Hyderabad District

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Sri D. Sanjivayya.

Place: Assembly Buildings, Hyderabad. (Sd.) SHANKER REDDY,
Returning Officer."

Date: 13th July, 1972.

[No. F.13(1)/72-Leg.II.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1972

सां० आ० 4 : 5(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

आंध्र प्रदेश सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री दा० संजीवैया की मृत्यु उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

श्री एम० आर० कृष्णा
मकान नं० 6-60, अलवल,
जिला हैदराबाद ।

सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान :—
विधान सभा भवन, हैदराबाद ।
दिनांक : 13 जुलाई, 1972 ।

(ह०) ए० शंकर रैड्डी,
रिटर्निंग अधिकारी ।"

[सं० फा० 13(1)/72-वि० II]

के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972